**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षातील नियतव्ययाचे उणे पध्दतीने वाटप करण्याबाबत.**

**महाराष्ट्र शासन**
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी-२०१०/प्र.क्र.२७/विसयो-१
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : २५ ऑक्टोंबर, २०१०

वाचा :- १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.मकोनि-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा प्र-५, दिनांक १५ एप्रिल, २०१०.
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. बीजीटी-२०१०/प्र.क्र.१८७/अर्थसंकल्प, दिनांक २० एप्रिल,२०१०
३) शासन निर्णय क्रमांक विसयो-२००८/प्र.क्र.७८/विसयो-१, दिनांक ३० सप्टेंबर,२००८
४) शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी-२०१०/प्र.क्र.२७/विसयो-१, दिनांक २५ जून, २०१०
५) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक बीजीटी-२०१०/प्र.क्र.२२७/विसयो-१, दिनांक २९ जून, २०१०
६) शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी-२०१०/प्र.क्र.२७/विसयो-१, दिनांक १ जुलै, २०१०

**प्रस्तावना :** सामाजिक अर्थसहाय्य कार्यक्रमांतर्गतच्या केंद्र शासन पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेची देयके उणे पध्दतीने काढण्याबाबत वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र.मकोनि-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा प्र-५, दिनांक १५ एप्रिल, २०१० अन्वये आदेश निर्गमित केले आहेत व हे परिपत्रक संगणक सांकेतांक २०१००४१५१५०४४५००१ वर उपलब्ध आहे. याला अनुसरुन सामाजिक न्याय विभागाने शासन परिपत्रक बीजीटी-२०१०/प्र.क्र.१८७/अर्थसंकल्प, दिनांक २० एप्रिल,२०१० निर्गमित केले व त्याची प्रत सर्व कायालयांना पाठविलेली आहे. त्यानंतर उपरोक्त -संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयाद्वारे माहे जून,२०१० व मार्च,२०११ या कालावधीकरिता सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे रु.१२५००.०० लाख इतकी तरतूद वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. तसेच त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.५ च्या शासन शुध्दीपत्रकाद्वारे त्यात दुरुस्तीही सुचविण्यात आली होती.

**शासन निर्णय :-** आता संदर्भीय क्र.४ चा शासन निर्णय व संदर्भ क्र.५ चे शासन शुध्दीपत्रक रद्द करुन वरील बाब विचारात घेऊन उणे पध्दतीने देयके काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयाने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेची सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात सूचित केलेल्या रकमेच्या मर्यादेत देयके काढावीत. याबाबत सदर तरतुदीच्या मर्यादेत हा खर्च तात्काळ करण्यात यावा.

केंद्र शासन पुरस्कृत सामाजिक अर्थसहाय्य कार्यक्रमांतर्गतच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या रु.१५०००.०० लाख खर्चासाठी "महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक २०१०" विधानमंडळात मंजूर केले असून त्या अन्वये मंजूर झालेल्या तरतूदीपैकी माहे एप्रिल व मे,२०१० या दोन महिन्यांसाठी रु.२५००.०० लाख इतकी तरतूद दि.२९ एप्रिल,२०१० च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वी वितरीत करण्यात आली होती. तसेच माहे जून, २०१० व मार्च,२०११ या कालावधीकरिता सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे उर्वरित रु.१२५००.०० लाख इतकी तरतूद वित्त विभागाच्या दि.१५ एप्रिल, २०१० च्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये व संदर्भ क्र.२ येथील या विभागाच्या परिपत्रकान्वये उणे पध्दतीने काढण्यास दि.१ जुलै,२०१० च्या शासन निर्णयाद्वारे

मान्यता दिलेली आहे. आता महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या "महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक २०१०" अन्वये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेसाठी पुरक मागणीद्वारे उपलब्ध करुन घेतलेल्या अतिरिक्त र.१००००.०० लक्ष रक्कमेतून रु.९६५०.०० लक्ष इतकी रक्कम सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे.

२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्राद्वारे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना आवश्यकतेनुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना अनुज्ञेय असलेले अनुदान बँक खाते / पोस्ट बचत खाते (पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग खाते) यामार्फतच वितरीत करण्यात यावे.

३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विसयो-२००८/प्र.क्र.७८/विसयो-१, दिनांक ३० सप्टेंबर,२००८ मध्ये लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य वितरणासंबंधातील जी पध्दती निर्धारित केली आहे त्याच पध्दतीने या योजनेमधील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात यावे. सदरहू वितरीत अनुदान मागणी क्र.एन-३ मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण ,१०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना केंद्र पुरस्कृत योजना (०८)(१०) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वार्धक्य योजना (२२३५ अे ३०२) ५० इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा.

४. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी.

५. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाच्या विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावे व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक क्रमांक - २०१०१०२५२१३९४९००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

गकिवाघ

( ग. कि. वाघ )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति
सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद
सर्व जिल्हाधिकारी.
संचालक ,लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती)
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर.
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५,७, अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई
अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सा.न्या.सां.का.वि.स. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
निवड नस्ती, विसयो १

Release Order for Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme

| | |
|---|---|
| Amount Budgeted | 24650 |
| Amount already released | 15000 |
| Balance | 9650 |

(Rs.In Lacks)

| Serial Number | | District | Number of Beneficiaries | Amount Required | | Amount Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mumbai | 776 | 18.62 | | 7.14 |
| 2 | | MSD | 2376 | 57.02 | | 21.88 |
| 3 | | Thane | 30200 | 724.80 | | 278.05 |
| 4 | | Raigad | 28400 | 681.60 | | 261.48 |
| 5 | | Ratnagiri | 9220 | 221.28 | | 84.89 |
| 6 | | Sindudurg | 5637 | 135.29 | | 51.9 |
| | | | | 0.00 | | 0 |
| 7 | | Pune | 18000 | 432.00 | | 165.73 |
| 8 | | Satara | 24000 | 576.00 | | 220.97 |
| 9 | | Sangli | 13776 | 330.62 | | 126.84 |
| 10 | | Solapur | 34570 | 829.68 | | 318.28 |
| 11 | | Kolhapur | 16100 | 386.40 | | 148.23 |
| | | | 0 | 0.00 | | 0 |
| 12 | | Nashik | 48050 | 1153.20 | | 442.39 |
| 13 | | Dhule | 22300 | 535.20 | | 205.32 |
| 14 | | Nandurbar | 23650 | 567.60 | | 217.74 |
| 15 | | Jalgaon | 43450 | 1042.80 | | 400.04 |
| 16 | | Ahmednagar | 37305 | 895.32 | | 343.47 |
| | | | 0 | 0.00 | | 0 |
| 17 | | Aurangabad | 39890 | 957.36 | | 367.27 |
| 18 | | Jalna | 58540 | 1404.96 | | 538.98 |
| 19 | | Beed | 49430 | 1186.32 | | 455.1 |
| 20 | | Parbhani | 26300 | 631.20 | | 242.14 |
| 21 | | Latur | 68900 | 1653.60 | | 634.36 |
| 22 | | Nanded | 27900 | 669.60 | | 256.87 |
| 23 | | Osmanabad | 55200 | 1324.80 | | 508.22 |
| 24 | | Hingoli | 30000 | 720.00 | | 276.21 |
| | | | 0 | 0.00 | | 0 |
| 25 | | Amaravati | 49300 | 1183.20 | | 453.9 |
| 26 | | Akola | 28300 | 679.20 | | 260.56 |
| 27 | | Washim | 26300 | 631.20 | | 242.14 |
| 28 | | Buldhana | 50400 | 1209.60 | | 464.03 |
| 29 | | Yavatmal | 45200 | 1084.80 | | 416.15 |
| | | | 0 | 0.00 | | 0 |
| 30 | | Nagpur | 47600 | 1142.40 | | 438.25 |
| 31 | | Wardha | 26100 | 626.40 | | 240.3 |
| 32 | | Bhandara | 14900 | 357.60 | | 137.18 |
| 33 | | Gondia | 12100 | 290.40 | | 111.4 |
| 34 | | Chandrapur | 20700 | 496.80 | | 190.58 |
| 35 | | Gadchiroli | 13250 | 318.00 | | 121.99 |
| | | Total : | 1048120 | 25154.90 | | 9650 |